न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

1. निगरानी संख्या– 105/2013–14

श्रीमती भारती सिंह —बनाम— श्री पवन कुमार आदि

2. निगरानी संख्या– 124/2013–14

श्रीमती भारती सिंह —बनाम— श्री पवन कुमार आदि

उपस्थितिः श्री सुभाष कुमार, आई0ए0एस0 अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री डी0एस0 नेगी।
अधिवक्ता प्रतिपक्षी : श्री पी0के0 गर्ग

बावत
खाता संख्या–58 खसरा नम्बर–6/1 रकबा 2.429 है0
मौजा बिगवाड़ा, तहसील किच्छा, जनपद ऊधमसिंह नगर।

आदेश

यह निगरानीयाँ निगरानीकत्री ने आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल द्वारा निगरानी संख्या–119 वर्ष 2012–13 पवन कुमार आदि बनाम सरकार आदि में पारित निर्णयादेशों दिनांक 26–12–2013 एवं 29–01–2014 के विरूद्व योजित की हैं।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकत्री श्रीमती भारती सिंह द्वारा वादग्रस्त भूमि के धारा–143 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत आबादी घोषित किये जाने हेतु परगनाधिकारी/सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, रूद्रपुर के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिनांक 20–11–2010 प्रस्तुत किया जिसपर परगनाधिकारी/सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, रूद्रपुर ने अपने निर्णयादेश दिनांक 19–01–2011 से प्रश्नगत भूमि को अकृषक घोषित किया गया। इस आदेश के पुनर्स्थापन/निरस्त करने हेतु श्री ओम प्रकाश ने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, रूद्रपुर ने अपने आदेश दिनांक 01–03–2013 से निरस्त किया गया। इन आदेशों के विरूद्व श्री पवन कुमार पुत्र ओम प्रकाश आदि ने आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल के न्यायालय में निगरानी योजित की गई। विद्वान आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल ने अपने निर्णयादेश दिनांक 26–12–2013 से सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, रूद्रपुर का आदेश दिनांक 01–03–2013 निरस्त किया गया। पुनः प्रतिपक्षी श्री पवन कुमार की ओर से आयुक्त, कुमांऊ मण्डल के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि आदेश दिनांक 26–12–2013 से सहायक कलेक्टर का आदेश दिनांक 01–03–2013 निरस्त किया गया है जबकि सहायक कलेक्टर का आदेश दिनांक 19–01–2011 भी निरस्त किया जाना चाहिए विद्वान आयुक्त, कुमांऊ मण्डल द्वारा

अपने संशोधित आदेश दिनांक 29–01–2014 से सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, रूद्रपुर का आदेश दिनांक 19–01–2011 भी निरस्त किया गया। इन आदेशों के विरूद्ध निगरानीकत्री ने उपरोक्त निगरानियाँ योजित की हैं।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि जोत चकबन्दी अधिनियम में कृषि भूमि को अकृषक घोषित किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–143 के अन्तर्गत कृषि भूमि को अकृषक घोषित किये जाने का क्षेत्राधिकार सहायक कलेक्टर को है। चकबन्दी अधिनियम की धारा–49 में व्यवस्था दी गई है कि यदि जांच के दौरान चकबन्दी अधिकारी के संज्ञान में आता है कि भूमि का उपयोग कृषि कार्य में नहीं हो रहा है और उसका उपयोग आबादी या व्यवसायिक हो रहा है वहाँ पर वह पक्षकार या पक्षकारों को अपने अधिकारों की घोषणा के लिए सक्षम न्यायालय में जाने की छूट प्रदान कर सकता है। प्रश्नगत भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए नहीं हो रहा है और मौके पर आबादी बनी हुई है। आयुक्त द्वारा इस तथ्य का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त होने योग्य हैं।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी ने तर्क दिया कि निगरानीकत्री ने चकबन्दी प्रकिया के दौरान विवादग्रस्त भूमि को अकृषक घोषित करा लिया, जबकि चकबन्दी प्रकिया के दौरान राजस्व न्यायालयों की क्षेत्राधिकारिता समाप्त हो जाती है और राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन सभी वाद उपशमित हो जाते हैं। निगरानीकत्री मौके पर भूमि के स्वरूप का परिवर्तन कर रहे हैं जिससे चकबन्दी प्रकिया बाधित हो रही है। आयुक्त के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।

अधिवक्ता पक्षकारों के तर्क सुने गये। इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि निगरानीकत्री ने वादग्रस्त भूमि को अकृषक घोषित करने के लिए प्रार्थना पत्र परगनाधिकारी/सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी के समक्ष दिनांक 20–11–2010 को प्रस्तुत किया गया। सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, रूद्रपुर ने निर्णयादेश दिनांक 19–01–2011 से भूमि को अकृषक घोषित किया गया। इस आदेश के पुनर्स्थापन हेतु प्रतिपक्षीगण की ओर से पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो निरस्त हुआ। इन आदेशों के विरूद्ध प्रतिपक्षीगण ने आयुक्त, कुमांऊ मण्डल के न्यायालय में निगरानी योजित की जो स्वीकार हुई एवं सहायक कलेक्टर, रूद्रपुर का आदेश दिनांक 19–01–2011 निरस्त किया गया। विद्वान आयुक्त के निर्णयादेशों का अवलोकन किया गया। इन निर्णयादेशों में यह स्पष्ट किया गया है कि जिस क्षेत्र में चकबन्दी प्रकिया प्रारम्भ हो गई हो व इसकी विज्ञप्ति जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–4 उप धारा(2) के अधीन जारी हो गई हो वहां राजस्व न्यायालय में इस प्रकार की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकती। यह स्पष्ट है कि चकबन्दी प्रकिया के दौरान राजस्व न्यायालयों का क्षेत्राधिकार समाप्त हो जाता है एवं सभी विवाद चकबन्दी न्यायालय द्वारा ही

निर्णीत किये जा सकते हैं। अतः विद्वान आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल के निर्णयादेशों में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं है। निगरानियाँ बलहीन एवं निरस्त होने योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में निगरानियाँ बलयुक्त न होने के कारण निरस्त की जाती हैं। आदेश की प्रति निगरानी संख्या–124/2013–14 श्रीमती भारती सिंह बनाम पवन कुमार आदि पर भी रखी जाय।

दिनांकः २९ अप्रैल, 2014

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष,
राजस्व परिषद।